82

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 271–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–8–04 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 44/2003–04/अपील.

बंशीलाल पिता रामकिशन
निवासी ग्राम बिजलपुर
तहसील इंदौर जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा हल्का पटवारी नं. 10
ग्राम बिजलपुर तहसील एवं जिला इंदौर .....अनावेदक

श्री लोकेश आर्य अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/12/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी ग्राम बिजलपुर प.ह.नं. 10 द्वारा तहसीलदार तहसील इंदौर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम बिजलपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 982 पैकि 0.729 हेक्टेयर श्रीकृष्ण मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर इंदौर शासकीय अभिलेख में अंकित है, परन्तु मौके पर आवेदक द्वारा अवैध अतिकमण किया गया है । उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–68/2001–02 दर्ज कर दिनांक 28–2–2002 को आदेश पारित कर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा मंदिर के पुजारियों को सौपने के आदेश देते हुए रूपये 1500/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–8–2003 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी

के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–8–04 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) हल्का पटवारी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए प्रश्नाधीन भूमि को लगानी भूमि नहीं बताया गया है और तहसील न्यायालय द्वारा उक्त अवैध प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को अतिकामक मानने में गंभीर अवैधानिकता की गई है, जबकि तहसीलदार को राजस्व अभिलेखों का गंभीरता से परिशीलन कर आदेश पारित करना चाहिए था । अतः तहसीलदार द्वारा ऐसा नहीं कर आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि को बिना किसी आधार के मन्दिर की भूमि मान्य की गई है, जबकि कौनसा मन्दिर शासकीय है, यह मन्दिर कहां पर स्थित है, इस मन्दिर का पुजारी कौन है, तहसीलदार द्वारा इन सब बातों का उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है । हल्का पटवारी द्वारा असत्य प्रतिवेदन, जिसमें पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में मात्र ग्राम बिजलपुर श्रीकृष्ण मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण उल्लिखित किया गया है, जबकि वास्तव में ग्राम बिजलपुर में ऐसा कोई शासकीय मन्दिर स्थित ही नहीं है और तहसीलदार द्वारा मात्र कल्पना के आधार पर आवेदक को अतिकामक मानने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि निजी भूमि होकर मुकुन्दराम के भूमिस्वामी स्वत्व में राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही थी, इस बावत् राजस्व अधिकारी तहसीलदार, इंदौर के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा द्वारा जारी भू–अधिकार ऋण पुस्तिका कमांक 708262 में सर्वे कमांक 982 रकबा 3.035 हेक्टेयर, जिसके कॉलम नं. 9 में एक कुंआ स्थित है अंकित है। इस भू–अधिकार ऋण पुस्तिका में श्रीकृष्ण मंदिर अथवा अन्य किसी भी मन्दिर का नाम अंकित नहीं है । आवेदक द्वारा उक्त भू–अधिकार ऋण पुस्तिका की प्रतिलिपि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, फिर भी तहसीलदार द्वारा उस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में भूल की गई है ।

(4) मूल भूमिस्वामी मुकुन्दराम के भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि कम होकर किस आदेश से कथित शासकीय श्रीकृष्ण मन्दिर के नाम नामांतरित हुई और यह नामान्तरण किस वर्ष में हुआ आदि कोई तथ्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होते हुए भी तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय श्रीकृष्ण मंदिर की भूमि मानने में तहसीलदार द्वारा गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती प्रोसिडिंग मनमाना लिखकर प्रकरण अदम पैरवी में खारिज करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि आवेदक द्वारा पहले ही मौखिक तर्क प्रस्तुत कर चुका था और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को कोई पेशी दिनांक भी नहीं दी गई थी ।

(6) अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील निरस्त कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस निष्कर्ष के साथ स्थिर रखा गया है कि प्रश्नाधीन भूमि श्रीकृष्ण मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर शासकीय अभिलेख में दर्ज है, जो कि मात्र कल्पना पर आधारित है, क्योंकि ऐसा कोई अभिलेख अथवा प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अभिलेख पर उपलब्ध है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार करते हुए प्रश्नाधीन भूमि, जो कि पूर्व में मुकुन्दराम के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, को मान्य कर प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय मद से कम किया किया जाये ।

(7) आवेदक विगत 50–60 वर्ष पूर्व से अविरत आज तक प्रश्नाधीन भूमि पर आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्य करते हुए प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग एवं उपभोग स्वयं मूल भूमिस्वामी मुकुन्दराम पिता दत्तू एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के सामने स्वतंत्र रूप से करते चला आ रहा है । अतः संहिता की धारा 168, 169 के अनुसार आवेदक मौरूसी कृषक एवं उसके बाद पक्के कृषक होने का अधिकार अर्जित कर चुका है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि श्रीकृष्ण मन्दिर, व्यवस्थापक कलेक्टर, इंदौर शासकीय अभिलेख में दर्ज है, जिस पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में भी अतिक्रमण का प्रकरण प्रचलित हुआ था, जिसमें अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त की गई थी । आवेदक प्रश्नाधीन भूमि से कब्जा नहीं हटाने के उद्देश्य से कार्यवाही

की जा रही है । आवेदक द्वारा स्वयं प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया गया है और मात्र कब्जे के आधार पर ही उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अपना स्वत्व बताया जा रहा है, जबकि कब्जे के आधार पर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । यदि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कोई स्वत्व है तो आवेदक को व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण कराना चाहिए, क्योंकि स्वत्व के निराकरण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–04 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 272–एक/2005 (राधेश्याम पिता बद्रीलाल विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा हल्का पटवारी) पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर